उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-1540/77-6-14-41(टैक्स)/2001
लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2014

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या 3090/77-6-03-41(टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (पंचम संशोधन), 2014

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ — 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (पंचम संशोधन), 2014 कही जायेगी।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- नियम-5(13) का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011 के नियम-5(13) को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।"	"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।"
उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता है:- (अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को	उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता है:- (अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित

कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जाये। तथा (ब) इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिए)	प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जाये। तथा (ब) इकाई द्वारा <u>पब्लिक सेक्टर बैंक/शेड्यूल्ड बैंक</u> जो आर.बी.आई. द्वारा मान्य एजेन्सी बैंक हो, से ब्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिए)

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या-1540(1)/77-6-14-41(टैक्स)/2001, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
3- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय प0सं0-4/2/17/2014-सी0एक्स0(1) दिनांक 30-09-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
6- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
9- कर निबन्धन अनुभाग-2
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्यपाल गंगवार)
विशेष सचिव।

1-10-14